ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-8
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) केम्प .....पहमता

—: आदेश :—

प्राथी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....पहमता..... व भू.अ.नि. .....पहमता..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार .....—..... / नायब तहसीलदार .....गिसुण्ड..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....सौनियाणा..... तहसील .....रेलमगरा..... व जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् .....2071..... में खाता संख्या .....84..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :—

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सौनियाणा	84	प्यारचन्द जाति-बोला पुत्र कासना	प्यारचन्द जाति-रेगर पुत्र किशन

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ...

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

क्रमांक:— 347 दिनांक :— 11/10/25

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार .....रेलमगरा..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री .....प्यारचन्द पुत्र किशन रेगर..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ...

उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा